कार्यालय नगर परिषद ब्यावर

नीलामी की शर्ते

कार्यालय परिसर में पडे सात अनुपयोगी वाहनों की नीलामी हेतु निम्न शर्ते तय की जाती है :–

1. नगर परिषद परिसर में पडे अनुपयोगी वाहन जहॉ जैसी स्थिति में है बोलीदाता (ठेकेदार) को निलामी समाप्ति दिनांक से दो दिवस में स्वयं के खर्चे पर उठाना होगा।
2. नीलामी किये जाने वाले सात वाहनों की न्यूनतम विकय दर मौके पर समिति–सदस्यों द्वारा नियत की जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता की बोली जिसे कमेटी द्वारा स्वीकार की जावेगी, उस बोलीदाता को निलामी राशि उसी दिन कार्यालय समय में नकद में जमा करानी होगी।
4. समस्त टैक्स की राशि उच्चतम बोली से अतिरिक्त होगी जो उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि के साथ ही (बोली राशि एवं टैक्स राशि) जमा कराना होगा।
5. समस्त वाहनों की नीलामी एक लोट में ही स्वीकार की जायेगी।
6. वाहनों की नीलामी में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता को अमानत राशि के रूप में राशि रू0 30,000/– नकद/डी.डी./बैंकर चैंक के रूप में जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते है। निलामी कमेटी के निर्णय उपरान्त ही अमानत राशि लौटायी जायेगी।
7. वाहनों का निरीक्षण कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।
8. नीलामी कमेटी द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार करने पर उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वीकृत उच्चतम बोली राशि का एक चौथाई भाग (1/4) मौके पर ही तुरन्त जमा कराना होगा एंव शेष राशि तीन चौथाई भाग (3/4) आगामी कार्य दिवस 01.02.2017 को नकद/डी.डी./बैंकर चैंक के रूप में जमा कराना होगा। निर्धारित समय अवधि में अनुपयोगी वाहनों को न उठाने एवं राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. समस्त मामलों में कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा।

आयुक्त
नगर परिषद, ब्यावर